न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/406

1. शेषपाल आयु 57 वर्ष आत्मज कल्याण जाति धाकड निवासी सामरवाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. बाबूलाल आयु 46 वर्ष आत्मज कल्याण जाति धाकड निवासी सामरवाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश आयु 60 वर्ष आत्मज हरनाथ उर्फ श्योनारायण जाति धाकड निवासी चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्रीमती मनभर आयु 58 वर्ष पत्नी जगदशी जाति धाकड निवासी चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवा ।
4. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार साहब नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमेश कुमार कहार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92ए, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में वादी व प्रतिवादीगण कम 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी खाता संख्या 36 की खसरा नम्बर 211 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 565 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 566 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 537 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 573 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 574 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा कुल 06 किता की रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । खातेदार (मृतक) कालू आत्मज छीतर व माधो आत्मज रामसुध

जो कि लाऔलाद फौत हो गये हैं उक्त दोनों मृतक द्वारा अपने शामलाती रूप से अपने हिस्से की उक्त खाता की कृषि भूमि में जो इनका हिस्सा था उसे दिनांक 25.05.1990 को एक सादा कागज पर अंकित इच्छा पत्र (वसीयत) द्वारा वादी को उनको मृत्युपरान्त उपभोग व उपयोग मृतकों की भांति अधिकार प्रदान हेतु लिया गया था । उक्त भूमि जरिये वसीयत वादी के कब्जे में चली आ रही है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि को अपने आपको खातेदार घोषित करावे ।

3. अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय के साथ डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में मृतक माधोलाल आत्मज रामसुख व मृतक कालू आत्मज छीतर का हिस्सा जो कि जरिये वसीयत दिनांक 25.05.1990 की पालनानुसार वादी के कब्जे में है का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उसका अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 13.06.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की कोई वैधानिक तामील नहीं करवाई थी और उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही दिनांक 10.04.2018 को कर दी गई एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित करने से अपीलान्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये हैं । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान ने किसी प्रकार का कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की कोई वैधानिक तामील नहीं करवाई थी और उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही दिनांक 10.04.2018 को कर दी गई एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित करने से अपीलान्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये हैं । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निण्रय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है ।

रेस्पोडेन्ट कम 1 मनभर जगदीश की पत्नी है । जगदीश की पत्नी द्वारा कोई इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया है तो उसके आधार पर उक्त वाद में गुणावगुण पर कोई कानूनन प्रभाव नहीं पडता है । रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अपने वादपत्र में गलत तथ्य अंकित किये गये हैं । वादी ने कालू आत्मज छीतर को लाऔलाद फौत होना अंकित किया है जबकि उनकी जायन्दा पुत्री कन्या मौजूद है । कालू की पुत्री कन्या को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है । उक्त भूमि कन्या की पैतृक सम्पत्ति है जो रामसुख जी के समय की है पैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध में कालू को वसीयत करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं था । उक्त वसीयत फर्जी एवं बनावटी है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर वादी का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखा था और लोक अदालत में वादी जगदीश एवं प्रतिवादी कम 3 मनभर उपस्थित हुए हैं । अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 10.04.2018 को एकतरिफा कार्यवाही हो चुकी थी । कोर्ट कैम्प का नोटिस दिया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी कम 1 व 2 अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए साक्ष्य वादी में दिनांक 10.04.2018 से आगामी दिनांक 24.04.2018 नियत की और दिनांक 24.04.2018 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश में होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.07.2018 नियत की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने नियत दिनांक 06.07.2018 से पूर्व ही दिनांक 13.06.2018 को उक्त पत्रावली को लोक अदालत में रखा और उसी दिन दावा वादी डिक्री कर दिया । अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने प्रस्तुत प्रकरण में कालू आत्मज छीतर को लाऔलाद फौत होना अंकित किया है जबकि उनकी जायन्दा पुत्री कान्या मौजूद है । कालू की पुत्री कन्या को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

10. लोक अदालत में केवल वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 जगदीश एवं प्रतिवादी कम 3 मनभर उपस्थित हुए हैं । जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थिति होकर विधिक राजीनामा पेश करे इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह लोक अदालत की भावना के विपरीत पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक कालू आत्मज छीतर की कोई जायन्दा पुत्री हो तो उसे पक्षकार बनाकर प्रतिवादीगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.10.18

(भामवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा